



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या - 421-अप्र-07/पाकालि/13-09-अप्र0-07/12

दिनांक: 15 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28-ए0आर/89, दिनांक: 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे:-

क्र0सं0	अवर अभियन्ता का नाम पिता का नाम/ट्रेड/जन्म तिथि /गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती/ आवंटन इकाई	अभिज्ञान संख्या
1.	श्री महीपाल सिंह, पुत्र, श्री आर0एस0सिंह 07.06.56/बिजनौर/299/79-80	वि0जा0पारेषण मं0, मुरादाबाद	पारेषण	201301
2.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, पुत्र, श्री एम0एल0गुप्ता/ 05.05.58/गोण्डा/307/79-80	विद्युत जानपद वितरण खण्ड-1, लखनऊ	डिस्काम, लखनऊ	201302

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

सभी अवर अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
- उपर्युक्त सूची में अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्णधनराशि/प्रत्याप्ति है तो उनके नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौतीप्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उनकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:- 421-अ0प्र0-07/पाकालि/2013तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, पारेषण (मध्य/पश्चिम), उ0प्र0 पा0का0लि0, मेरठ।
- ✓ 9. अधीक्षण अभियन्ता (Website) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
11. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 पा0का0लि0।
12. उपसचिव (अ0प्र0-04) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0-04/गोपन), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से
(सुबोध कुमार शर्मा) 15/02/2013
उप सचिव